सत्यमेव जयते

THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 886

23 Kartik, 1938 (S)
Ranchi, Tuesday, 14th November, 2017

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

14th November, 2017

S.O. No. 140- Dated - 14th November, 2017-- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 23 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby specifies the persons making supplies of services, other than supplies specified under sub-section (5) of section 9 of the said Act through an electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52 of the said Act, and having an aggregate turnover, to be computed on all India basis, not exceeding an amount of twenty lakh rupees in a financial year, as the category of persons exempted from obtaining registration under the said Act:

Provided that the aggregate value of such supplies, to be computed on all India basis, should not exceed an amount of ten lakh rupees in case of "special category States" as specified in sub-clause (g) of clause (4) of article 279A of the Constitution, other than the State of Jammu and Kashmir.

2. This notification shall be deemed to be effective from 15th November, 2017.

[File.No Va Kar / GST / 07/ 2017]
By the order of the Governor of Jharkhand,

K. K. Khandelwal,
Principal Secretary-cum Commissioner.

वाणिज्यकर विभाग-

अधिसूचना

14 नवम्बर, 2017

एस. ओ. - 140 - दिनांक- 14 नवम्बर, 2017-- झारखण्ड सरकार, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 23 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, ऐसे व्यक्ति को, इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक स्रोत जिससे उक्त अधिनियम की धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर एकत्र करना अपेक्षित है और जो एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख की रकम से अनधिक अखिल भारतीय आधार पर संगणित किए जाने वाले संकलित व्यापारावर्त रखते हों, के माध्यम से, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट आपूर्ति से भिन्न सेवाओं की आपूर्ति करने वाले व्यक्ति को उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट प्राप्त करने वाले व्यक्ति के रुप में विनिर्दिष्ट करती है :

परंतु ऐसी आपूर्ति का सकल मूल्य, जिसकी गणना अखिल भारतीय स्तर पर की जानी है, संविधान के अनुच्छेद 279क के खंड (4) के उपखंड (छ) में यथाविनिर्दिष्ट "विशेष श्रेणी के राज्यों" के मामले में, जम्मू-कश्मीर से भिन्न, 10 लाख की राशि से अधिक नहीं होना चाहिए ।

2. यह अधिसूचना 15/11/2017 से प्रवृत्त होगी ।

[सं.सं .वा०कर/जी०एस०टी०/04/2017]
झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

के० के० खण्डेलवाल,
प्रधान सचिव-सह-आयुक्त।

Printed & Published by the Superintendent of Jharkhand Government Press, Doranda, Ranchi.
Jharkhand Gazette (Extraordinary) 886-- 50.